


29/5/24

पत्रावली पेशा हुई उभय पक्षकारान उपस्थित ।
 उभय पक्षकारान ने बहल उपरान्त आदेश हेतु न्यायालय
 हाजा डी निवेदन किया । उभय पक्ष बहल सुनीगई।
 पत्रावली आदेश में ही जाकर भवसौवन किया गया।
 प्रार्थना पत्र में वर्कित तर्कों एवं बहल वडील पक्षकारान
 पर मुनन किया गया । यूंके आर्जेटु डेकारा प्रसूत
 दवा में बाह साहय जवूत है, पक्षकारान डा हउ विली
 तय होना है ऐसी स्थिति में इस्त न्यायालय द्वारा
 जारी आर्जेटु निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 18/12/23
 को ताफैसला दवा तउ बढ्या जाना उचित समीत हो
 पर प्राची डा यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाऊ
 अप्राथीवत को आर्जेटु निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
 जाता है । अप्राथीवत आर्जेटु निषेधाज्ञा डेवह
 प्रार्थना पत्र में वर्कित भूमि जावत मौडा व रिडाई
 डी यथास्थिति ताफैसला दवा तउ बनये रखे ।
 पत्रावली डेजल सुमार होइ नम्बर डे उपडी जाउर
 टाखिल टपकर है (मूसवक में सखन होइ) आदेश
 भलग से लिखा जाये ।

भागावत

कि

पैसा खुर्च-यालय में चुपचा गया ।


सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)